राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–3/शिकायत) विभाग

क्रमांकः प. 2(1)(31)का/क–3/शिका/2024 जयपुर, दिनांक : **04.05.2024**

आदेश

श्री सुरेश कुमार, आर.ए.एस., जिला आबकारी अधिकारी, अलवर को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर द्वारा पंजीबद्ध अपराध संख्या 69/2024 अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (यथा संशोधित 2018) में दण्डनीय अपराध के लिए प्रथम दृष्ट्या लिप्त पाये जाने पर दिनांक 02.05.2024 को गिरफ्तार किया जाकर 48 घण्टे से अधिक पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा में रखा गया है।

अतः राज्य सरकार, राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 13(2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री सुरेश कुमार, आर.ए.एस. को उनकी गिरफ्तारी दिनांक 02.05.2024 से निलम्बित माने जाने (deemed to have been suspended) के एतद्द्वारा आदेश प्रदान करती है।

श्री सुरेश कुमार का निलम्बन के दौरान मुख्यालय प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के कार्यालय में रहेगा।

राज्यपाल महोदय के आदेश से,

4/5

(डॉ. एस.पी. सिंह)
शासन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
2. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान।
4. शासन संयुक्त सचिव, कार्मिक (क–4/1) विभाग को श्री सुरेश कुमार, आर.ए.एस. के निलम्बन आदेश की प्रति संलग्न कर लेख है कि कृपया उक्त निलम्बन आदेश श्री कुमार को सुपुर्द करवाकर प्राप्ति रसीद इस विभाग को भिजवाने का श्रम करें। यह भी निवेदन है कि श्री सुरेश कुमार, आर.ए.एस. को निलम्बित अधिकारियों हेतु रखी गई उपस्थिति पंजिका में उपस्थिति दर्ज करने हेतु निर्देशित करें एवं इसके अतिरिक्त उन्हें यह भी निर्देश देवें कि वे अपना मुख्यालय आपकी पूर्व अनुमति के नहीं छोडें। इन्हें इनके अवकाश वेतन के बराबर उस सीमा तक यदि वे अर्द्धवेतन अवकाश पर रहते के बराबर उन्हें निलम्बन काल में निर्वाह भत्ता एवं ऐसे वेतन पर अन्य भत्ते देय होंगे।
5. महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।
6. श्री सुरेश कुमार, आर.ए.एस., जिला आबकारी अधिकारी, अलवर को निर्देश दिए जाते हैं कि वे शासन संयुक्त सचिव, कार्मिक (क–4/1) विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अपना मुख्यालय नहीं छोड़ें।
7. कार्मिक (क–1/गो.प्र.) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
9. वित्तीय सलाहकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. प्रोग्रामर, कम्प्यूटर सैल, कार्मिक विभाग।
11. रक्षित पत्रावली ।

4/5

शासन संयुक्त सचिव